बिहार सरकार

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

आ०सं०– स्था०(मु०)1–05 / 2009 .....255.....सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांकः–03/07/26

आदेश

सहायक निदेशक, बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–29–सह–पठित ज्ञापांक–135, दिनांक–16.01.2026 द्वारा श्री सतीश कुमार, निम्नवर्गीय सूचना लिपिक, बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 एवं 17 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसमें श्री विधु भूषण चौधरी, अपर सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सहायक निदेशक, बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन उपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–अपर सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपों, आरोपी कर्मी का प्रतिवाद एवं निष्कर्ष के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः–

आरोपों की विवरणी :–

आरोप–1– कार्यालय में पदस्थापित कार्यालय परिचारी श्री बबलू कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार, श्री राजू कुमार से वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्दी भत्ता भुगतान के एवज में पैसों की मांग करना।

आरोप–2– कार्यालय परिचारी श्री अरविन्द कुमार, श्री राजू कुमार एवं श्री बबलू कुमार सिंह से वर्दी भत्ता की राशि एवं एम०ए०सी०पी० में मिलने वाली राशि के भुगतान के एवज में पुनः पैसों की मांग करना।

आरोपी कर्मी का प्रतिवाद :–

बिहार सूचना केन्द्र, बिहार सदन, नई दिल्ली में पदस्थापित कार्यालय परिचारी श्री अरविन्द कुमार, श्री राजू कुमार से कभी–कभी अतिआवश्यक कार्य हो जाने पर कर्ज के रूप में पूर्व में भी पैसा लिया गया है, और ससमय वापस भी कर दिया गया है। ना कि कोई कार्य करने के एवज में लिया जाता है। कर्ज में लिये गये पैसे को गलत नाम देकर आरोप लगाया गया है। कुछ दिनों से आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करने के कारण इनसे कर्ज लेना पड़ा था, जिसे यथाशीघ्र वापस कर दिया जायेगा। साथ ही कहा गया कि यदि आगे से किसी प्रकार का मामला प्रकाश में आता है तो इसके जिम्मेदार वे खुद रहेंगे। आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। इसके लिए महाशय से क्षमा चाहता हूँ।

उनके द्वारा तत्कालीन पदाधिकारी से उक्त कर्मियों के बारे में मौखिक रूप से शिकायत करने के कारण उनके ऊपर अक्सर गलत–सलत आरोप तथा पैसों की मांग करने का आरोप लगाया गया है।

संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष :–

आरोप संख्या–I – कार्यालय में कार्यरत परिचारी श्री बबलू कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार, श्री राजू कुमार से वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्दी भत्ता भुगतान के एवज में पैसों की मांग करने का आरोप से संबंधित साक्ष्य संलग्न है। गवाहों के परीक्षण में भी इस बात की पुष्टि हुई कि पाँच सौ–पाँच सौ रुपया श्री कुमार के खाते में दिया गया है। आरोपी कर्मी के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि यह राशि इन तीनों को नवम्बर माह में वापस कर दी गयी है। इस तरह आरोपी कर्मी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यह आरोप सही है। **आरोप संख्या–01 प्रमाणित होता है।**

<u>आरोप संख्या–</u>II– कार्यालय में पदस्थापित कार्यालय परिचारी श्री अरविन्द कुमार, श्री राजू कुमार एवं श्री बबलू कुमार सिंह से वर्दी भत्ता की राशि एवं एम०ए०सी०पी० का लाभ का भुगतान करने के एवज में पैंसों की मांग के संबंध में श्री अरविन्द कुमार के द्वारा 3500/– रुपया दिनांक–29.05.2025 एवं श्री राजू कुमार के द्वारा दिनांक–28.05.2025 एवं दिनांक–31.05.2025 को 1000–1000/– रुपये की दर से 2000/– रुपये श्री सतीश कुमार को ऑनलाईन भुगतान करने संबंधी साक्ष्य की पुष्टि की गयी है। गवाहों के प्रतिपरीक्षण में राजू कुमार एवं अरविन्द कुमार के द्वारा यह बताया गया कि उक्त पैसे के लिए उनलोगों पर सतीश कुमार के द्वारा दबाव बनाया गया था।

श्री सतीश कुमार के विरुद्ध एम०ए०सी०पी० का लाभ देने के लिए ऑनलाईन पैसा हस्तान्तरित करने का **आरोप प्रमाणित होता है।**

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति आरोपी कर्मी को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–767, दिनांक–08.05.2026 तथा स्मार पत्र संख्या–944, दिनांक–02.02.2026 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। आरोपी कर्मी द्वारा अपने अभिकथन में उल्लेखित किया गया है कि–

1. बिहार सूचना केन्द्र, बिहार सदन, नई दिल्ली में पदस्थापित कार्यालय परिचारी श्री अरविन्द कुमार, श्री बबलू कुमार सिंह एवं श्री राजू कुमार के द्वारा उनपर पैसों की मांग करने का आरोप लगाया गया है, जो सरासर गलत है। आरोप लगाने का कारण वित्तीय वर्ष 2025 में कार्यालय परिचारी को आवंटन के अभाव में वर्दी भत्ता की राशि का भुगतान नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2. श्री कुमार द्वारा कंडिका–2 में उल्लिखित किया गया है कि कार्यालय में पदस्थापित कार्यालय परिचारी श्री अरविन्द कुमार, श्री राजू कुमार एवं श्री बबलू कुमार सिंह से वर्दी भत्ता की राशि एवं एम०ए०सी०पी० का भुगतान करने के एवज में पैंसों की मांग करने का आरोप पर बताया गया है कि यह सत्य है कि उनके द्वारा पैंसों की मांग किया गया था परन्तु कभी–कभी अत्यावश्यक कार्य हो जाने पर कर्ज के रूप में पूर्व में भी पैसा लिया गया है, और ससमय उनके द्वारा वापस भी किया गया है। ना की कोई कार्य करने के एवज में लिया गया है। उनके द्वारा कर्ज के रूप में लिया गया पैसा को गलत नाम देकर आरोप लगाया गया है तथा कुछ उनके द्वारा लिया गया पैसा कैश के रूप में वापस भी किया गया है।

3. किसी दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण तथा नौकरी में दिक्कत, बदनाम कराने हेतु उनके खिलाफ यह षडयंत्र रचाने को लेकर शिकायत की गयी है क्योंकि वे एक अनुसूचित जाति के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। उनके द्वारा जो भी राशि की मांग किया गया है वह राशि आपसी समन्वय स्थापित कर किया गया था, जिसमें सभी कार्यालय परिचारियों की सहमति से हुई थी। जिसे बाद में कुछ और नाम दिया गया है।

4. श्री कुमार द्वारा किसी प्रकार का सदृश्य मामला भविष्य में प्रकाश में आता है तो इसके जिम्मेदार स्वयं होने की बात कही गयी है। भविष्य में उनके द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन देते हुए क्षमा याचना की है। साथ ही श्री कुमार द्वारा अंतिम चेतावनी/लघु दण्ड देते हुए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन संतोषप्रद एवं तथ्यपरक नहीं पाये जाने के कारण संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अभिलेखों के विभागीय स्तर पर इसके गुण–दोष के आधार पर सम्यक् जाँच एवं समीक्षा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के आलोक में की गई। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1)(i), 3 (1)(ii) एवं 3 (1)(iii) का स्पष्ट उल्लंघन है। समीक्षोपरान्त आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए श्री सतीश कुमार, निम्नवर्गीय सूचना लिपिक, बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (Vi) के अन्तर्गत निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

दण्ड (i) तीन (03) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(कामेश्वर मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–..... सू०ज०स०वि०, पटना दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के प्रधान आप्त सचिव सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(कामेश्वर मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–..... सू०ज०स०वि०, पटना दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, बिहार, सूचना केन्द्र, नई दिल्ली/ श्री सतीश कुमार, निम्नवर्गीय सूचना लिपिक, बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(कामेश्वर मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1960 सू०ज०स०वि०, पटना दिनांकः–03/07/26

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र कुणाल, आई०टी०मैनेजर, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/07/26

(कामेश्वर मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव।